रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219496
CG-DL-E-21052020-219496

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1401] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31 , 1942
No. 1401] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

का.आ.1562 (अ).—केंद्रीय सरकार,तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसूची के प्रवर्ग'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से और उक्त अनुसूची के प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए राज्य स्तर पर, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का. आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 केद्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006(इसमें इसके पश्चात् ई आई ए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां गठित की जाएंगी जिसका तीन वर्ष का नियत कार्यकाल होगा।

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रवर्ग "ख"प्रस्तावों के अंतर्गत विषयों के निर्बाध व्यौहार के लिए महामारी कोविड 19 जैसी कुछेक स्थिति में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों का तीन वर्ष के पश्चात् कार्य अवधि के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

और, केंद्रीय सरकार आपवादिक परिस्थितियों में मौजूदा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों के कार्यकाल में विस्तार करना आवश्यक समझा है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में,उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, इस ई आई ए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 3 के उप-पैरा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात् :-

"परंतु यह कि जब कभी भी आवश्यक और समीचीन माना जाएगा, केंद्रीय सरकार और छ: माह से अनधिक अवधि के लिए कार्यकाल में विस्तार दे सकती है।"

(ii) पैरा 5 में, उप पैरा (ग) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति का प्रत्येक तीन वर्ष पर पुनर्गठन किया जाएगा:

"परंतु यह कि जब कभी भी आवश्यक और समीचीन माना जाएगा, केंद्रीय सरकार और छ: माह से अनधिक अवधि के लिए कार्यकाल में विस्तार दे सकती है।"

(iii) परिशिष्ट VI में, मद 7 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह कि जब कभी भी आवश्यक और समीचीन माना जाएगा, केंद्रीय सरकार ऐसे सदस्य के कार्यकाल में और छ: माह से अनधिक अवधि के लिए विस्तार दे सकती है।"

[फा. सं. जे-11013/30/2007 – आई ए. II (i)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का. आ. 1224(अ), तारीख 28 मार्च, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

S.O. 1562(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior Environmental Clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority for matters falling under Category 'B' in the said Schedule;

AND WHEREAS, the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for a fixed term of three years;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for extension of tenure of the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, beyond three years in certain situation like pandemic COVID 19, for uninterrupted dealing the matters under Category "B" proposals;

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to extend the tenure of the existing State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, in exceptional circumstances;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 3, in sub-paragraph (6), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term for a further period not exceeding six months."

(ii) in paragraph 5, for sub-paragraph (c), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(c) The Expert Appraisal Committee and State Level Expert Appraisal Committee shall be reconstituted after every three years:

Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term for a further period not exceeding six months."

(iii) in the APPENDIX VI, in item 7, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term of such member for a further period not exceeding six months."

[F. No. J-11013/30/2007-IA.II(I)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.